



ऑस्ट्रेलिया में एक कैदी, विलियम बकली जेल से भागा और उसके बाद उसने अपना लगभग सारा जीवन समुद्र के किनारे एक गुफा में बिताया। जेल से भागने और उसके बाद जिंदा रहने की उसकी कहानी रोचक है। बकली पर, जानते बूझते चोरी के कपड़े का थान लेने का आरोप था। हालांकि उसका कहना था कि, वह तो केवल एक महिला के लिए कपड़ा ले जा रहा था, उसे नहीं पता था कि वो चोरी का है। फिर भी उसे 14 साल कैद की सजा दी गई और जेल भेज दिया गया। एच.एम.एस. कैलकटा जहाज से उसे सलिवन्स खाड़ी में सोरेंटो कॉलोनी ले जाया गया। सन् 1803 में जब उसे पता चला कि उसे टैस्मैनिया भेजा जाएगा तो वह जेल से भाग निकला और स्थानीय वादरोंग समुदाय के साथ रहने लगा। कहा जाता है कि इस दौरान वो एक गुफा में ही रहा। आज इस गुफा को बकली जं केव (बकली की गुफा) कहते हैं। बत्तीस साल बाद बकली बैलारीन प्रायद्वीप के सेंट लिओनाइर्स के पास जॉन बेटमैन के शिविर में आया। उसके शरीर पर उसके नाम के पहले अक्षर, "डब्ल्यू.बी." गुदे हुए थे जिससे पुष्टि हुई कि वो विलियम बकली है जो 1803 में जेल से भाग गया था और जिसे मृत मान लिया गया था। बेटमैन ने अपना कैम्प सेंट लियोनाइर्स से मैलबर्न शिफ्ट कर लिया। बकली को भी बाद में माफ़ी मिल गई। उसने दो साल तक शवों और स्थानीय ऑबॉरिजिनल्स (मूल निवासियों) के बीच मध्यस्थता का काम किया। पर उसकी निष्ठा बंटी हुई थी और दोनों ही पक्ष उस पर भरोसा नहीं करते थे। यहां से मोहभंग होने के बाद वह टैस्मैनिया चला गया। जहां उसने नौकरी की और शादी की। सन् 186 में 76 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई। बकली के फरार होने की कहानी आज भी ऑस्ट्रेलिया में सुनी-सुनाई जाती है और इसके आधार पर एक कहावत भी है, "बकली ज चांस"।

सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से दो दिन की राहत

श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि, न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर दो दिन बाद कार्यवाही की जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट आदेश रद्द कर दिया और आर.सी.ए. के चुनावों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया

जयपुर, 23 सितंबर (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन कमिश्नर यश मित्र सिंह देव के साथ अभद्रता और मारपीट से जुड़े मामले में ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर को 2 दिन की राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि, वो न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर 2 दिन बाद सौम्या गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई करने को स्वतंत्र है।

- सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर यशमित्र सिंह देव के साथ मारपीट व अभद्रता के मामले में ये निर्देश दिए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक फरवरी 2022 को आदेश जारी कर न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक निलम्बन की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने एक फरवरी 2022 को आदेश जारी कर, न्यायिक जांच कार्रवाई का नतीजा आने तक सौम्या गुर्जर के निलम्बन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद सौम्या ने वापस मेयर का पद संभाला था। दस अगस्त को न्यायिक जांच में, ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर, यशमित्र सिंह देव के साथ मारपीट व अभद्रता,

मामले की न्यायिक जांच में ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर व तीन पार्षदों, अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा व पारस जैन को नगर पालिका अधिनियम की धारा 39(1) (डी) सहित अन्य प्रावधानों के तहत, दुराचरण, कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने व अभद्र भाषा के आरोप में दोषी माना गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी।

जयपुर, 23 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों को संबद्धता मामले में राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद इन तीनों जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आर.सी.ए.) ने न केवल बहाल कर दिया है, बल्कि आर.सी.ए. की आगामी एजीएम में भी तीनों संघ हिस्सा लेंगे। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए मामले को एकलपीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एकलपीठ को कहा है कि वह जल्द से जल्द मामले की सुनवाई पूरी करे। वहीं अदालत ने आर.सी.ए. के चुनावों पर भी रोक लगाने से इनकार

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आर.सी.ए. ने तीनों जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता बहाल कर दी और अब तीनों जिला संघ आर.सी.ए. की आगामी ए.जी.एम. में शामिल होंगे।

कर दिया है। सुनवाई के दौरान श्रीगंगानगर व अन्य जिला क्रिकेट संघ ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि आर.सी.ए. के चुनाव होने वाले हैं और इसकी आपत्ति लोकपाल के समक्ष होती है, लेकिन लोकपाल हाईकोर्ट के रिटायर जज है। जबकि नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही लोकपाल नियुक्त हो सकते हैं। ऐसे में मौजूदा लोकपाल

को नियुक्ति गलत है तो फिर आपत्ति किसके समक्ष पेश करें। इसलिए आर.सी.ए. के चुनाव पर रोक लगाई जाए जवाब में आर.सी.ए. ने कहा कि उन्होंने तीनों जिला क्रिकेट संघों को पहले से ही नोटिस भेजकर एजीएम के लिए आमंत्रित कर रखा है और उनकी संबद्धता को भी बहाल कर दिया है। ऐसे में अदालत द्वारा आर.सी.ए. के चुनावों पर रोक नहीं लगाई जाए। इस पर क्रिकेट संघों की

ब्रिटेन और भारत में फ्री ट्रेड एग्रिमेंट डील क्यों फाइनल नहीं हो पा रही?

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जोन्सन के बीच फ्री ट्रेड एग्रिमेंट (एफ.टी.ए.) पर हस्ताक्षर होने के आसार हैं। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रिमेंट (एफ.टी.ए.) को लेकर पांच दौर की बातचीत हो चुकी है। ज्यादातर बातों पर सहमति बन गई है और बचे हुए कुछ मामलों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। माना जा रहा है कि दिवाली तक सहमति अपने अंतिम चरण में होगी, जो कि 24 अक्टूबर को सिल्वर जयंती के दिन होगी।

मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया, भारत और ब्रिटेन को विश्वास है कि दिवाली से एफ.टी.ए. पर सहमति बन जाएगी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में व्यापार मंत्रियों की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पी.एम. मोदी के ब्रिटेन दौरे की जानकारी अक्टूबर के पहले

- इस डील के मामले में दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर की पाँच दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक क्रियान्विति नहीं हो पाई है।

हफ्ते में सार्वजनिक की जा सकती है। यह यात्रा दिवाली के आसपास ही होने के आसार हैं। हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने हाल ही में कहा था कि दिवाली का त्योहार मनाने का सबसे अच्छा तरीका एफ.टी.ए. को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच एफ.टी.ए. समझौता होने से न सिर्फ आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलेगी, बल्कि रोजगार के भी नए

अवसर पैदा होंगे।

इस व्यापार समझौते पर दिवाली के त्योहार तक हस्ताक्षर हो जाने की काफी उम्मीद है। भारत और ब्रिटेन ने इस समझौते को दिवाली तक पूरा करने की जो समय सीमा तय की हुई है, वह एक शुभ तिथि साबित होगी।

उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजेंद्र रत्नू ने कहा कि दोनों ही देशों के नेता इस व्यापार समझौते को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञित हैं। इस समझौते से कपड़ा, चमड़ा, आभूषण व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जैसे श्रम-बाहुल्य क्षेत्रों में भारत के निर्यात को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच अधिकांश उत्पादों और सेवाओं का व्यापार लगभग निःशुल्क हो जाएगा। इससे द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

गहलोत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिए वह जल्दी ही अपना नामांकन पत्र भरेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से पहले इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि राहुल गांधी द्वारा उदयपुर संकल्प में व्यक्त किया गया "एक व्यक्ति एक पद" का सिद्धांत चुनाव जीतने के बाद ही अस्तित्व में आता है। गहलोत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गांधी परिवार उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं थोप सकता क्योंकि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शनिवार से जैसे ही नामांकन भरना शुरू होगा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा अपनी पादर का इस्तेमाल करना बंद हो जाएगा और यह निर्णय उनका स्थान देने वाले अगले कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा ही लिया जाएगा।

उन्होंने यह भी संकेत दिए कि पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में वह राजस्थान कांग्रेस के विधायकों को ही यह निर्णय लेने देंगे कि वे किस नेता को मुख्यमंत्री मानना चाहते हैं और यदि विधायक पार्टी अध्यक्ष के नाते उन्हें यह अधिकार देते हैं कि वे किसी को मनोनीत करें तो इसके लिए किसी को मनोनीत कर देंगे क्योंकि यह कांग्रेस की बरसों पुरानी परम्परा रही है।

नविका...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जस्टिस कृष्ण मुरारी को बैंच ने नविका कुमार को गत 8 अगस्त को दिया गया प्रोटैक्शन भी बहाल दिया। बैंच ने व्यवस्था दी कि उनके खिलाफ आठ हफ्तों तक कोई प्रतिरोधी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वे इस अंतरिम अवधि के दौरान कोई विधिक उपचार कर सकें। बैंच ने उन्हें यह छूट भी दी कि वह मुख्य एफ.आई.आर. को खारिज करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। दिल्ली पुलिस की इन्टेलिजेंस फ्यूज एण्ड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन्स (आई.एफ.एस.ओ.) यूनिट इस मामले की जांच करेगी।

अपने खिलाफ शुरू की गई कार्यवाहियों को रद्द करवाने के लिए नविका कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से छूट प्रदान कर एक अंतरिम आदेश देते हुए केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किए थे। नविका कुमार के टी.वी. शो की एक डिबेट के दौरान पैम्फ्लर मोहम्मद पर नूर शर्मा की टिप्पणियों का देशभर में विरोध हुआ था और कई खाड़ी देशों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

रूस के नागरिकों में देश छोड़ने की अफरातफरी मची

रूस के लोग कह रहे हैं कि, हमें बेजवाह के युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है

मॉस्को, 23 सितंबर (वार्ता)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस से सैनिकों की आंशिक लाहवां बंदी को घोषणा किये जाने के बाद से घरवारे नागरिकों के देश छोड़कर जाने की होड़ मची लगी गयी है। बीबीसी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी। दूसरी ओर क्रेमलिन ने उम्मीदवार लोगों के लड़ाई में भेजे जाने के डर से देश छोड़कर भागने की रिपोर्टों को अतिशयोक्तिपूर्ण बताया है, लेकिन जॉर्जिया की सीमा पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। जिसमें जंग से बचकर भागने की कोशिश कर रहे

रूस के नागरिकों में देश छोड़ने की अफरातफरी मची

रूस के लोग कह रहे हैं कि, हमें बेजवाह के युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है

लोग शामिल हैं। कुछ लोग तो सीमा पर वाहनों की लंबी कतारों से बचने और पैदल ही सीमा पार करने पर लगी पाबंदी को देखते हुए साइकिलों पर ही सवार होकर सीमा पार करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने बीबीसी को नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर बताया कि वह यूक्रेन सुबह नौ बजे से सीमा पार करने के इंतजार में था और देर रात वह सीमा पार करने में कामयाब भी रहा। एक अन्य व्यक्ति ने भी बताया कि उसने सीमा पार करने के लिए 12 घंटे का इंतजार किया।

दो दिन गये जब

पूर्व स्वीकृत सीटें केवल 100 थीं। जब यह बयान तथ्य-जाँचकर्ताओं की जानकारी में आया तो वे तुरन्त उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ एम्स की बिल्डिंग बन रही थी। शुक्रवार को, पड़ोस की ही विरुचुनगर सीट के कांग्रेस सांसद एम.बी. मणिकक्कम टेंगोर तथा मदुरै सांसद वैक्केटेशम (सी.पी.एम.) ने जब संबंधित स्थल पर एम्स का भवन ढूँढा तो पता चला कि उस जगह पर तो एक ईंट तक नहीं थी। कांग्रेस सांसद ने वयंग्य शैली में ट्वीट किया, "मदुरै एम्स (का निर्माण कार्य) 95 प्रतिशत पूरा कराने के लिये धन्यवाद। मैंने तथा मदुरै सांसद ने थोपुर साइट में एक घंटे तक भवन को ढूँढा लेकिन कुछ नहीं मिला लगातार है। एम्स की इमारत किसी ने चुरा ली है। बड़ाकर 250 कर दी गई है, जब

गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली मंदा होगी।

निवेशकों के लिए सलाह रूबिनी ने निवेशकों को भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आपको इक्विटी पर अब ढील देने की जरूरत है। आपके पास अधिक नकदी होनी चाहिए। वह लंबी अवधि के बॉन्ड से दूर रहने और शॉर्ट टर्म ट्रेजरी जैसे इन्व्लेशन इंटेक्स बॉन्ड में निवेश की सलाह दे रहे हैं। बता दें कि नूरील रूबिनी ने 2007-2008 में आर्थिक मंदा को लेकर सटीक भविष्यवाणी की थी। इस वजह से उन्हें डॉक्टर डूम का नाम दिया गया था।

सचिन पायलट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) चुके हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी। ऐसे में सभी विधायकों के राजनीतिक स्वर बदलने लगे हैं, जिनमें अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक बाबूलाल नागर भी शामिल हैं, जिन्होंने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा कि वह तो खुद राजेश पायलट के कट्टर समर्थक रहे हैं। ऐसे में संकेतों से समझा जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान का इशारा किस ओर है।

दूसरी ओर जयपुर पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को सरकारी निवास 8 सिलिल लाइन पर बुलाया। इस दौरान बहुत से मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए, लेकिन बताया जाता है कि 7-8 मंत्री मुख्यमंत्री निवास नहीं पहुँचे। वहीं कुछ मंत्री सचिन पायलट से मिलने उनके सरकारी निवास भी पहुँचे। ऐसे में राजस्थान के तमाम राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं, जिसमें कि मंत्री और विधायकों का रुख भी बदलता नजर आ रहा है और वह अब बजाए और कहीं जाने की सीधे सचिन पायलट से मिलने उनके निवास पर पहुँच रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहले जहाँ कोविच में राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद में दिल्ली जाकर सोनिया गांधी, पियंका गांधी और राहुल गांधी से एक साथ मुलाकात करने वाले थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में 1 दिन के विश्राम के दौरान राहुल गांधी के दिल्ली आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली जाने के बजाए शिर्डी में साई बाबा के दर्शन करने के बाद जयपुर लौट आए। ऐसे के आकर गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों से मुलाकात की है।

प्रणय सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सिक्थोरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एस.ई.बी.आई.) को यह सूचना दे दी है कि वे एफ.ए.टी. के 20 जुलाई के आदेश के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील दायर कर रहे हैं।

वस्तुतः एफ.ए.टी. ने सेबी द्वारा किये गये 25 करोड़ रु. के जुर्माने को कम करके 5 करोड़ रु. कर दिया था। रॉय दम्पति, जिन्होंने कुल मिलाकर 2000 करोड़ रु. का वलेम किया है, उस समय से संकट में हैं, जब से उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने एन.डी.टी.वी. के शतुतापुर्ण अधिग्रहण के लिए बोली लगाई है। अडानी ग्रुप ने एन.डी.टी.वी. के शेयर हासिल कर लिये हैं तथा 26 प्रतिशत शेयर खरीदने की खुली पेशकश की घोषणा कर दी है।